

# ORDER SHEET 1173-2010Rct

THECOURT-----

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
16-01-17	<p>परिवादी अनु०</p> <p>परिवादी की ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं। परिवादी एवं उसके अधिवक्ता की न्यायालय कक्ष के बाहर बार बार पुकार लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण आज आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।</p> <p>परिवादी द्वारा तलबाना न दिये जाने के कारण आरोपी को समन जारी नहीं किया जा सका है। आदेश पत्रिका के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी के विरुद्ध दिनांक 08/12/15 को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद का संज्ञान लिया गया था एवं प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत किया गया था तत्पश्चात प्रकरण दिनांक 18/2/16 एवं दिनांक 18/3/16 व 12/05/16 दिनांक 14/07/16 दिनांक 08/09/16 दिनांक 08/11/16 एवं आज दिनांक को आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत किया गया था परन्तु परिवादी द्वारा कभी भी तलबाना पेश न करने के कारण आरोपी के विरुद्ध आज दिनांक तक समन जारी नहीं किया जा सका है। आज दिनांक को परिवादी भी अनुपस्थित है एवं परिवादी की ओरसे उसके पक्ष समर्थन हेतु कोई अधिवक्ता भी उप० नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी परिवाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रस्तुत परिवाद तलबाने के अभाव में एवं परिवादी की अनुपस्थिति में द०प्र०स० की धारा 256 के अंतर्गत खारिज किया जाता है।</p> <p>आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">सही/- प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी. गोहद</p>	